

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 131/2022

उनवान

1. श्रीमती नाराणी देवी पत्नि कालु अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री कालु पिता भागा अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्री कैलाश पिता किशना अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्रीमती भगवानी पत्नि किशना अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्री लक्ष्मण पिता किशना अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. श्री शंकर पिता किशना अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सीताराम पिता लेला अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री राधेश्याम पिता लेला अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्री भैरु पिता लेला अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्री नाराण पिता छोगा अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्रीमती राधा पुत्री भैरु अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. श्री नानालाल पिता नाथु अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
7. श्री कालु पिता मांगु अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
8. श्री नाराण पिता देवा अहीर नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
9. श्री मुकेश पिता नारायण सोनी नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
10. श्री प्रहलाद पिता मांगीलाल सोनी नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
11. श्री उदयसिंह पिता जोधासिंह राजपुत नि० ओज्याडा तह०हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 23.11.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.10.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू०अ०नि० क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 661 की कृषि भूमि की आ०न० 623 रकबा 0.2403 है०, आ०न० 624 रकबा 0.1391 है०, आ०न० 634 रकबा 2.2635 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.2635 है०, खाता संख्या 94 की कृषि भूमि की आ०न० 661 रकबा 0.2150 है०, आ०न० 662 रकबा 0.1897 है०, आ०न० 663 रकबा 0.9105 है०, आ०न० 672 रकबा 0.0126 है० कुल किता 04 कुल रकबा 1.3278 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.10.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 एवं 11 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं ग्राम ओज्याडा प.ह. ओज्याडा भू०अ०नि० क्षेत्र हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 661 की कृषि भूमि की आ०न० 623 रकबा 0.2403 है०, आ०न० 624 रकबा 0.1391 है०, आ०न० 634 रकबा 2.2635 है० कुल किता 03 कुल रकबा 2.2635 है०, खाता संख्या 94 की कृषि भूमि की आ०न० 661 रकबा 0.2150 है०, आ०न० 662 रकबा 0.1897 है०, आ०न० 663 रकबा 0.9105 है०, आ०न० 672 रकबा 0.0126 है० कुल किता 04 कुल रकबा 1.3278 है० जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1500/-रु० पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(अजीत सिंह राठौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)